



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 608 राँची, शुक्रवार,

20 सितम्बर, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 अगस्त, 2024

संख्या-14/विविध-18/2023-4956--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.06.2012 एवं संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अधिसूचना संख्या-5275, दि०-22.09.2017, अधिसूचना संख्या-4987, दि०-18.09.2019, अधिसूचना संख्या-3031, दि०-27.07.2022 एवं अधिसूचना संख्या-4518, दि०-11.11.2022 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचित किया गया है ।

3. विभागीय उक्त अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित कतिपय झारखण्ड आन्दोलनकारियों के देहावसान के पश्चात् उनके आश्रितों को लाभ देने हेतु नामित करने संबंधी प्रस्ताव / प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-714, दिनांक-10.07. द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्न पूर्व चिन्हित आंदोलनकारियों (वर्तमान में मृत) के आश्रितों को नामित करते हुए लाभ देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनके वर्गीकरण के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	चिन्हित (मृत) आंदोलनकारी का विवरण	चिन्हितीरण से संबंधित अधिसूचना	आश्रित नामित करने का आधार	संकल्प संख्या-1938 दिनांक-20.04.2021 के आलोक में आयोग की अनुशंसा
1	नाम-सालिक अहमद उर्फ सालिक पिता-स्व० सुल्तान सफी उर्फ सुल्तान अहमद ग्राम-चितरपुर पोस्ट- चितरपुर थाना-रजरप्पा प्रखण्ड-चितरपुर जिला-रामगढ़	अधिसूचना सं०- 3031 दि०- 27.07.2022 कण्डिका-2 (viii)(a)	1 स्व० सालिक अहमद का मृत्यु प्रमाण पत्र। 2. अंचलाधिकारी, चितरपुर के पत्रांक-38, दिनांक-14.06.2024 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची। 3. आश्रित का आधार कार्ड एवं शपथ पत्र।	सबीहा खातून को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० सालिक अहमद उर्फ सालिक की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
2	नाम- छत्रनाथ चौधरी पिता- स्व० हुकुमनाथ चौधरी ग्राम साँडी पोस्ट- साँडी थाना रजरप्पा प्रखण्ड- चितरपुर जिला - रामगढ़	अधिसूचना सं०- 4987 वि०- 18.09.2019 कण्डिका-3 (क)	1 स्व० छत्रनाथ चौधरी एवं उनकी पत्नी झुनी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र। 2.अंचलाधिकारी, चितरपुर के पत्रांक-18, दिनांक 11.03.2024 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची। 3. अन्य आश्रित का अनापति शपथ पत्र।	दुर्गा चरण चौधरी को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० छत्रनाथ चौधरी का आश्रित पुत्र नामित किया जाता है।

3	नाम-नियेल तिर्की पिता स्व० प्रेमचन्द तिर्की ग्राम- सोनारटोली पोस्ट- सिमडेगा थाना सिमडेगा प्रखण्ड- सिमडेगा जिला-सिमडेगा	अधिसूचना सं०- 5275 दि०- 22.09.2017 कण्डिका-3 (क)	1 स्व० नियेल तिर्की का मृत्यु प्रमाण पत्र। 2. अंचलाधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक- 122, दिनांक 26.06.2024 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 3. आश्रित का आधार कार्ड एवं शपथ पत्र।	लता तिर्की को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० नियेल तिर्की की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
4	नाम-महेश कुमार धान पिता-स्व० हु सैन महली ग्राम मठ, तुरिअम्बा पोस्ट- तुरिअम्बा थाना भरनो प्रखण्ड- भरनो जिला गुमला	अधिसूचना सं०- 5275 दि०- 22.09.2017 कण्डिका-2 (अन्य)	1 स्व० महेश कुमार धान का मृत्यु झारखण्ड अभिषेक भूषण थान को मृत आंदोलनकारी स्व० महेश कुमार धान का आश्रित पुत्र नामित किया जाता है। 52 अंचलाधिकारी, भरनो के पत्रांक-28, दिनांक-27.04.2022 के द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 3. अंचलाधिकारी, भरनो के पत्रांक-223/स०, दिनांक 12.06. 2024 से निर्गत आश्रित जाँच प्रतिवेदन। 4. आश्रित का आधार कार्ड। 5. अन्य आश्रित का अनापत्ति शपथ पत्र।	अभिषेक भूषण धान को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० महेश कुमार धान का आश्रित पुत्र नामित किया जाता है।

5	नाम-सलीमुद्दीन अन्सारी उर्फ छोटू खान पिता-स्व० नेजामुद्दीन अन्सारी उर्फ निजाम अन्सारी ग्राम तातरी दक्षिणी पोस्ट- तुपकाडीह थाना- जरीडीह प्रखण्ड- जरीडीह जिला बोकारो	अधिसूचना सं०- 4518 दि०- 11.11.2022 कण्डिका-2 (viii) (a)	1 स्व० सलीमुद्दीन अन्सारी का मृत्यु प्रमाण पत्र। 2. अंचलाधिकारी, जरीडीह के पत्रांक-88, दिनांक-31.07.2023 के द्वारा निर्गत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र। 3. अंचलाधिकारी, जरीडीह के पत्रांक-226, दिनांक-01.03.2024 से निर्गत आश्रित जाँच प्रतिवेदन। 4. आश्रित का आधार कार्ड एवं शपथ पत्र।	नुरैशा बीबी को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० सलीमुद्दीन अन्सारी उर्फ छोटू खान की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
6	नाम-नन्द लाल मुर्मू उर्फ विजय कु० माहाली पिता-कातान मुर्मू ग्राम लाटिया पोस्ट- बादिया थाना मुसाबनी प्रखण्ड- मुसाबनी जिला पूर्वी सिंहभूम	अधिसूचना सं०- 5275 दि०- 22.09.2017 कण्डिका-३ (क)	1 स्व० नन्द लाल मुर्मू का मृत्यु प्रमाण पत्र। 2. अंचलाधिकारी, मुसाबनी के पत्रांक-64, दिनांक-08.12.2022 के द्वारा निर्गत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र। 3. ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत वंशावली। 4. आश्रित का आधार कार्ड एवं शपथ पत्र।	इंदिरा मुर्मू को मृत आंदोलनकारी झारखण्ड स्व० नन्द लाल मुर्मू उर्फ विजय कु० माहाली की आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध नामांकित चिन्हित झारखण्ड आंदोलनकारियों/आश्रितों की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी / आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. उक्त नामित आश्रितों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा तथा विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक 07.05.2012 के तहत इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सरकार के उप सचिव ।
